

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-टी-3/भवन किराया-19/2012-
सेवा में,

पटना, दिनांक -

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय:- औ0 प्र0 संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) का प्रशिक्षण हित में सफल संचालन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-गृह नियंत्रक के ज्ञापांक-183 दिनांक-08.03.2018 के आलोक में श्री राजेन्द्र सिंह, प्रबंधक वास्ते श्री अजय कुमार शाही, पिता-स्व0 शत्रुमर्धन शाही, सा0-डुमरिया, थाना-शिकारपुर, सेमरा बाजार, बगहा से अतिरिक्त लिये गये मकान (खाली जगह सहित) (खाता संख्या-61, खेसरा सं0-348, कभर क्षेत्रफल 3236 वर्ग फीट एवं खुला क्षेत्रफल 3694 वर्ग फीट, कुल 6930 वर्ग फीट) को दिनांक 01.12.2013 से अगले आदेश अथवा सरकारी भवन उपलब्ध होने तक (दोनों में जो पहले घटित हो) निर्धारित समुचित कुल रूपया 22,179/- (बाईस हजार एक सौ उन्नासी रूपये) मात्र मासिक किराये पर रखने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- 2- मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या-4761 दिनांक 28 अक्टूबर, 1971 के साथ पठित संकल्प संख्या-62 (प्र0सु0) दिनांक 9 सितम्बर, 1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- 3- यह व्यय आय-व्ययक शीर्ष मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0118-नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विषयशीर्ष 0118.14.01 किराया महसूल एवं कर, मॉग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230030030118 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।
- 4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण) होंगे।
- 5- राशि की निकासी जिला कोषागार, बगहा से की जायेगी।
- 6- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या टी-3/भवन किराया-19/2012 के पृष्ठ-45/टि0 पर प्राप्त है।
- 7- प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(के0 सेंथिल कुमार)
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-3/भवन किराया-19/2012- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-3/भवन किराया-19/2012- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (आय व्ययक शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-3/भवन किराया-19/2012- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, सेमरा बाजार, बगहा (प0 चम्पारण)/श्री राजेन्द्र सिंह, प्रबंधक वास्ते श्री अजय कुमार शाही, सेमरा बाजार, बगहा/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान के किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर लेना होगा, जो बिहार वित्त नियमावली खण्ड-2 के परिशिष्ट-5 के अनुबंध "क" के मद संख्या 22 के प्रावधानों के अनुसार हरेक वर्ष प्रथम भार के साथ संलग्न किया जायेगा।

3- किराये में वृद्धि एवं भवन परिवर्तन के हालत में किराये की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-3/भवन किराया-19/2012- 1793 पटना, दिनांक - 2-8-18
प्रतिलिपि- बजट शाखा/मासिक व्यय विवरणी शाखा/भवन शाखा, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।
2/8/18